भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1676

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए को कम करने के उपाय

1676. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लंबित गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त उपायों के तहत अब तक क्या प्रगति हुई है तथा अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वसूली करने और एनपीए को कम करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं, जिसके कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) मार्च 2018 में 10,36,187 करोड़ रुपये (11.18% का सकल एनपीए अनुपात) के शीर्ष से घटकर दिसंबर 2024 (आरबीआई के अनंतिम आंकडे) में 4,55,278 करोड़ रुपये (2.42% का सकल एनपीए अनुपात) हो गई हैं। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण ऋण संस्कृति में परिवर्तन होने से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव आया है, जिसमें चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण वापस ले लिया गया और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया। इस प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने हेतु कॉरपोरेट उधारकर्त्ता के व्यक्तिगत गारंटीदाताओं को भी आईबीसी के दायरे में लाया गया है।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और ऋण की वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

(3) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) को अधिक मूल्य वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाने के लिए डीआरटी के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिक राशि वसूल की जा सके।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और उन पर केंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषीकृत दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल और शाखाएं तैयार की हैं, जो त्वरित और बेहतर समाधान उपलब्ध कराते हैं/वसूली को सुकर बनाते हैं। व्यवसाय प्रतिनिधियों के अभिनियोजन और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए के वसूली की स्थिति में सुधार हुआ है।

(5) समाधान योजना को शीघ्र अपनाए जाने के लिए उधारदाताओं को अंतर्निहित प्रोत्साहन के साथ आरबीआई द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया है ताकि दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग की जा सके और इसका समयबद्ध समाधान किया जा सके।

(ग): सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्निर्माण और इनमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक ढांचे हेतु अगस्त 2015 में "इंद्रधनुष" योजना का शुभारंभ किया था और संरचनात्मक तथा नीतिगत परिवर्तन लागू किए थे, जिनके, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) पीएसबी में उच्च प्रबंधन के तटस्थतापूर्वक चयन के लिए वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो (वर्ष 2016 में स्थापित पूर्ववर्ती बैंक बोर्ड ब्यूरो) का गठन किया गया है।

(2) समुचित नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग-अलग करके प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कर दिया गया है।

(3) पीएसबी द्वारा स्व-प्रयास से विनियामकीय पूंजी मानदंडों को पूरा करने में सहायता हेतु और साथ ही अपने कार्य-निष्पादन और क्षमता के आधार पर विकास संबंधी पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंकों में पूंजी निवेश किया गया है।

(4) सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने और बैंकों को अपने संगठन के वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के संबंध में सरकार ने परिपत्र जारी किया है।

(5) पूर्णकालिक निदेशकों के लिए मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई) का संशोधित ढांचा आरंभ किया गया है, और

(6) ईज (इएएसई) सुधारों सहित बैंकिंग सुधार आरंभ किए गए हैं ताकि विभिन्न मामलों, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण अनुशासन, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, उत्तरदायित्वपूर्ण उधार, बेहतर अभिशासन, प्रौद्योगिकी को अपनाना, ग्राहकोन्मुख बनाना और वित्तीय समावेशन में सहयोग प्रदान करना, शामिल हैं, का समाधान किया जा सके।

सरकार द्वारा लागू की गई इंद्रधनुष योजना और अन्य सुधारों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं –

(i) पीएसबी का सकल एनपीए जो मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड़ रुपये (14.58% का सकल एनपीए अनुपात) के शीर्ष पर था दिसंबर 2024 (अंतिम आंकड़े) में घटकर 3.02 लाख करोड़ रुपये (2.85%का सकल एनपीए अनुपात) हो गया;

(ii) उक्त अवधि के दौरान स्लिपेज अनुपात 8.35% से घटकर 0.95% हो गया;

(iii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो मार्च 2018 में 11.66% था, दिसंबर 2024 में बेहतर होकर 14.84% हो गया;

(iv) प्रावधान कवरेज अनुपात जो मार्च 2018 में 62.71% था, दिसंबर 2024 में बेहतर होकर 93.01% हो गया; और

(v) पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कुल निवल लाभ 1.41 लाख करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2024 (अंतिम आंकड़ा) तक 1.30 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया।

*****